छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक 64

पत्रक भाग –दो

शनिवार, दिनांक 5 जुलाई, 2014 (आषाढ़ 14 ,1936)

माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव, श्री भूपेश बघेल, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री गिरवर जंघेल, श्री भोलाराम साहू, श्री धनेन्द्र साहू, श्री शंकर ध्रुवा, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्री मोतीलाल देवांगन, श्री दलेश्वर साहू, श्री श्यामलाल कंवर, श्री बृहस्पत सिंह, श्री पारसनाथ राजवाड़े, श्री जनकराम वर्मा, श्री भैयाराम सिन्हा, श्री सियाराम कौशिक, श्री दिलीप लहरिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री लालजीत सिंह राठिया एवं डॉ. प्रीतमराम सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

कृपया अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर की ओर से प्राप्त विचाराधीन पत्र क्रमांक 587/14, दिनांक 01.7.2014 तथा उसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र जो इस सचिवालय में दिनांक 03.7.2014 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि दिनांक 01.7.2014 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा धान के समर्थन मूल्य, बोनस दिये जाने, राशन कार्ड निरस्तीकरण तथा बिजली के दामों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भवन से रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री निवास का घेराव हेतु प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे जिन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा शांति भंग होने के अंदेशा पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 183/14 धारा 151 के तहत् माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री टी.एस. सिंहदेव, को समय 15:57, सदस्य, श्री भूपेश बघेल को समय 16:10, श्री सत्यनारायण शर्मा को समय 15:00, श्री गिरवर जंघेल को समय 15:25, श्री भोलाराम साहू को समय 15:22, श्री धनेन्द्र साहू को समय 15:15, श्री शंकर ध्रुवा को समय 15:20, श्रीमती अनिला भेंड़िया को समय 15:29, श्री मोतीलाल देवांगन को समय 15:31, श्री दलेश्वर साहू को समय 15:35, श्री श्यामलाल कंवर को समय 15:38, श्री बृहस्पत सिंह को समय 15:41, श्री पारसनाथ राजवाड़े को समय 15:45, श्री जनकराम वर्मा को समय 15:48, श्री भैयाराम सिन्हा को समय 15:50, श्री सियाराम कौशिक को समय 15:52, श्री दिलीप लहरिया को समय 15:55, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम को समय 16:00, श्री लालजीत सिंह राठिया को समय 15:27 एवं डॉ. प्रीतमराम को समय 16:05 को सुभाष स्टेडियम, मोतीबाग, रायपुर के पास गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 276 धारा 107, 116 (3) जा.फौ. का इस्तगासा एस.डी.एम. रायपुर के समक्ष पेश किया गया तथा उन्हें मौके पर समय 17:00 बजे निःशर्त रिहा कर दिया गया।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.